


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा ₹म०५००१

पुर्नबिलोकन ५०५०/



RS. 20/-

रिज 4373-113

589
1.4.13

अधिवक्ता श्री आर.एस.
शर्मा डाटा ५१३४
रीवा, दि. ०१.४.१३

बंसक जाफर खान
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
सर्किट कोर्ट रीवा

2-12-13

जगदीश प्रसाद गुप्ता आत्मज स्व. कालू प्रसाद गुप्ता उम्री लगभग 51 वर्ष
पेसा कृषि एवं जातीय नि०ग्राम कोट धाना व तहसील नईगढ़ी जिला
रीवा ₹म०५००१ - - - - - आवेदक

बनाम

- 1- रामप्रसाद तनय स्व. कालूप्रसाद गुप्ता उम्री लगभग 48 वर्ष ।
- 2- तुलसीदास तनय स्व. कालूप्रसाद गुप्ता उम्री लगभग 31 वर्ष -दोनो
का पेसा कृषि एवं जातीय नि०ग्राम कोट धाना व तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा ₹म०५००१
- 3- श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. कालू प्रसादगुप्ता पत्नीश्री रामवीरत गुप्ता
उम्री लगभग 36 वर्ष पेसा गृह कार्य ग्राम बसिगढ़ा तह० हनुमना रीवाम०
- 4- श्रीमती बदामा पुत्री स्व. कालू प्रसाद गुप्ता पत्नीश्री गिरजा राम
गुप्ता उम्री लगभग 38 वर्ष पेसा गृह कार्य नि०ग्राम सीधी तहसील गोमर
बनास जिला सीधी ₹म०५००१ - - - - - अनावेदकगण

पुर्नबिलोकन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 51 म०५०

भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई० ।

पुर्नबिलोकन विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
राजस्व मण्डल म०५० ग्वालियर निग. ५०५०/
1814-एक/07 निर्णयिदिनांक 02-08-2013,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

१ अ१- यह कि प्रस्तुत प्रकरणमें यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि


h

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

25

मामला क्र. रि. 4373-तीन/13

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता पिछले सात पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्हे समय-समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण में उपस्थित न होने कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	



344